

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा./रा.नि.आ./14-15/99

दिनांक : 2/1/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 - नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव 2015 हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसमें प्रत्येक चरण के अलग-अलग अधिसूचना/लोक सूचना जारी की जायेगी। प्रथम चरण के लिए अधिसूचना दिनांक 3.1.2015 को जारी कर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाने हैं।

आयोग की जानकारी में यह लाया गया है कि, कतिपय स्थानों पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन में खड़े होने वाले सम्भावित उम्मीदवारों को यह अवगत कराया गया है कि, अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ नो-ड्यूज प्रमाण एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किये किए जाने हैं।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाने हैं और इनके संबंध में अपेक्षित सूचना इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण
1	2	3
1	नाम निर्देशन पत्र-4 क	नाम निर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण करनी है। कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है।
2	प्रारूप 4 घ	प्रारूप 4 घ की सभी प्रविष्टियाँ भरा जाना आवश्यक है। जो इस प्रकार हैं:- बिन्दु संख्या 1 - विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। 2- आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी है। 3- संतान के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। 4-सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता के निर्धारण के लिए है। किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता निर्धारित नहीं होगी।
3	उपाबन्ध-II	उपाबन्ध-II माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों एवं परिसम्पत्तियों की सूचना प्राप्त किये जाने के लिए भरा जाना है। उक्त प्रारूप 10 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह प्रारूप प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा इसके कॉलमों में सूचना नहीं भरने की स्थिति में मीमो दिये जाने पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर नामांकन पत्र निरस्त करने योग्य होगा।
4	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र/अंडरटेकिंग	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन कर इसे लागू किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर स्वयं के एवं साक्षियों के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे।
5	शैक्षणिक योग्यता	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा

		अंकतालिका को प्रमाणित दस्तावेज के रूप में उम्मीदवार से प्राप्त किया जावेगा। समकक्ष बोर्डों की सूची पंचायती राज विभाग के पत्रांक-एफ 4()निर्वा/विधि/पंरा/2014/6 दिनांक 2.1.2015 के साथ संलग्न कर भेजी जा चुकी है।
6	नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, कॉलम 3 में अंकित मामलों में ही सिर्फ राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर/फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार जिनके उपर इस प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का नो-ड्यूज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति/उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है तथा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यक्तिग्रामियों (Defaulter) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा, लेकिन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जावेगा।
7	चरित्र प्रमाण पत्र	संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है।
8	जाति प्रमाण पत्र	आरक्षित वर्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में संबंधित जाति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9	जमानत राशि के संबंध में	राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 (5) के परन्तुक के अनुसार चुनाव लड़े जाने हेतु जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क रु. 500 है तथा महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु. 250 है। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वर्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत हेतु उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10	सांख्यिकी सूचना	नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सकें।

इसी प्रकार पंच/सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सम्मिलित किये जाने हैं—

क्र. सं.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण
1	2	3
1	नाम निर्देशन पत्र प्ररूप-4	नाम निर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण करनी है। कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रखना है।
2	प्ररूप-4 घ	प्ररूप-4 घ पूर्ण भरा जाना आवश्यक है। बिन्दु संख्या 1 - विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। 2- आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धि से संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी है। 3- संतान के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। 4-सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता के निर्धारण के लिए है। किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता निर्धारित नहीं होगी।
3	उपाबन्ध-1	उपाबन्ध-1 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों एवं परिसम्पत्तियों की सूचना प्राप्त किये जाने के लिए भरा जाना है। उक्त प्रारूप स्टाम्प पेपर पर लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही नॉटेराईज्ड करवाने की आवश्यकता है। यह प्रारूप प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा इसके कॉलमों में सूचना नहीं भरने की स्थिति में मीमो दिये जाने पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर नामांकन पत्र निरस्त

		करने योग्य होगा।
4	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र/ अंडरटेकिंग	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन कर इसे लागू किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर स्वयं के एवं साक्षियों के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे।
5	शैक्षणिक योग्यता (केवल सरपंच पद हेतु)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 5 वीं उत्तीर्ण (अनुसूचित क्षेत्र) 8 वीं उत्तीर्ण (अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न) के मामलों में किसी विद्यालय जिसकी परिभाषा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-2 के खण्ड (ढ) में दी गई है द्वारा जारी अंकतालिका अथवा टी.सी. को प्रमाणित दस्तावेज के रूप में उम्मीदवार से प्राप्त किया जावेगा।
6	नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, कॉलम 3 में अंकित मामलों में ही सिर्फ राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर/फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार जिनके उपर इस प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का नो-ड्यूज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति/उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है तथा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यक्तिक्रमियों (Defaulter) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा, लेकिन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जावेगा।
7	चरित्र प्रमाण पत्र	संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है।
8	जाति प्रमाण पत्र	आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में संबंधित जाति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9	जमानत राशि के संबंध में (केवल सरपंच के पद के लिए)	राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 56 (3) के अनुसार सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने हेतु जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क रु. 500 है तथा महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु. 250 है। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत हेतु उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10	सांख्यिकी सूचना	नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएँ उपलब्ध हो सके।

भवदीय,

24.1.2015
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज., जयपुर।